Azadi Ka Amrit Mahotsav

GURU DEEKSHAA IAS

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रो के लिए

18TH AUGUST 2022

FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

18th August 2022

1. - रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में: 3
   (i) के बारे में: 3
   (ii) कौन सी सुरक्षा चिंताएं और मुद्दे भारत को प्रभावित करते हैं? 3
   (iii) कैसे आगे बढ़ा जाए: 3

2. - सीमा शुल्क का विवरण: 4
   (i) के बारे में: 4
   (ii) सीमा शुल्क के निर्धारण के लिए ध्यान में रखे गए कारक: 4
   (iii) सीमा शुल्क के लाभ: 4
   (iv) सीमा शुल्क की कमियों में शामिल हैं: 5

3. - आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में: 6
   (i) उद्देश्य: 6
   (ii) पात्रता: 6
   (iii) वर्तमान परिस्थितियाँ: 6

4. - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विवरण: 7
   (i) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विवरण: 7
   (ii) जैसा कि अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है: 7
   (iii) जेल में बिताया समय: 7
   (iv) कानून से संबंधित संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएं: 7

संपादकीय विश्लेषण..... 8

1. भारत में गैर संचारी रोग:..... 8
   (i) तथ्य:..... 8
   (ii) भारत की राज्य स्तरीय रोग भार रिपोर्ट:..... 8
   (iii) एनसीडी क्या हैं?..... 8
   (iv) भारत की अर्थव्यवस्था और लोग प्रभावित:..... 8
   (v) सरकारी कार्यों में शामिल हैं:..... 8
   (vi) स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार :..... 8
   (vii) पीएम का स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम:..... 9
   (viii) इमारतों में धुंध से निपटने के लिए:..... 9
   (ix) जो सरकारी कदम उठाए जाने चाहिए उनमें शामिल हैं:..... 9
   (x) गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:..... 9
   (xi) लोगों से उपयुक्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता..... 9
   (xii) डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को ये कदम उठाने की जरूरत है:..... 9
   (xiii) कैसे आगे बढ़ा जाए:..... 9

2. आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन:..... 10
   (i) आर्कटिक बर्फ का पिघलना प्रभाव:..... 10
   (ii) संबद्ध कठिनाइयाँ:..... 11
   (iii) भारत का उद्देश्य:..... 12
   (iv) क्या किये जाने की आवश्यकता है:..... 12
   (v) निष्कर्ष:..... 12

1. - रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में:

GS III

विषय→आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, रोहिंग्या मुसलमान दुनिया में सबसे अधिक उत्पीड़ित समूह हैं।
- म्यांमार में सैन्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2017 में उन्होंने कथित तौर पर अपने घर छोड़ दिए।
- अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान बड़े पैमाने पर बौद्ध राष्ट्र म्यांमार में कट्टरता और हिंसा से बचने के लिए दशकों से पड़ोसी बांग्लादेश और अन्य देशों, विशेष रूप से भारत में भाग रहे हैं।

कौन सी सुरक्षा चिंताएं और मुद्दे भारत को प्रभावित करते हैं?

- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: यह स्थापित किया गया है कि रोहिंग्याओं का भारत में लगातार अवैध प्रवास और उनका वहां रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
- हितों का टकराव: अवैध अप्रवासियों की महत्वपूर्ण आमद का कुछ क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- राजनीतिक अस्थिरता: जब राजनेता राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयास में अपने देश में अप्रवासी विरोधी भावना को भड़काना शुरू करते हैं, तो यह पहले से ही अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों को बढ़ा देता है।
- उग्रवाद में वृद्धि मुस्लिमों पर लगातार हो रहे हमलों को, जिनके बारे में माना जाता था कि वे अवैध अप्रवासी थे, उनकी जगह कट्टरपंथ ने ले ली।
- हाल के वर्षों में सीमा पार मानव तस्करी और महिलाओं की तस्करी विशेष रूप से प्रचलित हो गई है।
- कानून और व्यवस्था के मुद्दे: राष्ट्र की अखंडता और कानून के शासन को अवैध अप्रवासियों द्वारा खतरा है जो अवैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं।

कैसे आगे बढ़ा जाए:

- 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद भारत लंबे समय से शरणार्थियों को स्वीकार करने के मामले में दुनिया में अग्रणी रहा है। यह शरणार्थी संरक्षण की एक प्रणाली की आवश्यकता पर बल देता है।
- इसलिए, यदि भारत में शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए घरेलू कानून होता, तो क्षेत्र की कोई भी दमनकारी सरकार अपनी आबादी पर अत्याचार करने और उन्हें भारत में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने से बच जाती।
- शरणार्थियों पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) फ्रेमवर्क के अनुसार, भारत को अन्य सार्क सदस्यों को शरणार्थियों पर एक सम्मेलन या बयान का मसौदा तैयार करने के लिए राजी करना चाहिए।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

2. - सीमा शुल्क का विवरण:

जीएस III

विषय→भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे

के बारे में:

- एक देश का सीमा शुल्क कार्यालय आयात और निर्यात पर एक शुल्क लगाता है जिसे सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर आयातित वस्तुओं की कीमत इसे निर्धारित करती है।
- इसे कभी-कभी किसी विशेष राष्ट्र को उसके उत्पादों पर आय से अधिक आयात शुल्क लगाकर दंडित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है।
- देश के सीमा शुल्क प्राधिकरण वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात पर कर के रूप में सीमा शुल्क का मिलान करते हैं।
- निर्यात शुल्क दूसरे देश को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर लगाए गए कर का नाम है, जबकि आयात शुल्क आयात किए जाने वाले सामानों पर लगाए गए कर का नाम है।
- आयात करों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व में वृद्धि करना है, जबकि स्थानीय रूप से उत्पादित या निर्मित सामान देना है जो आयात शुल्क के अधीन नहीं हैं, उनके प्रतिस्पर्धियों पर लाभ।
- आयातित माल का मूल्य विशेष और यथामूल्य सीमा शुल्क दरों को निर्धारित करता है।
- अधिकांश आयातित उत्पादों को सीमा शुल्क करों के भुगतान की आवश्यकता होती है।
- जीवन बचाने वाली दवाएं, खाद्यान्न और उर्वरक सीमा शुल्क से मुक्त हैं।
- 1962 का सीमा शुल्क अधिनियम भारत में सीमा शुल्क को नियंत्रित करता है, और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सभी संबद्ध मामलों का प्रभारी है।

सीमा शुल्क के निर्धारण के लिए ध्यान में रखे गए गए कारक:

सीमा शुल्क की गणना करते समय निम्नलिखित सहित कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

- वह स्थान जहाँ उत्पाद खरीदा गया था।
- जहां उत्पाद बनाए जाते थे।
- माल का श्रृंगार।
- आइटम के आयाम, वजन, आदि।

सीमा शुल्क के लाभ:

- सीमा शुल्क प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों, पर्यावरण और नागरिकों की रक्षा के लिए देश में और बाहर वस्तुओं के प्रवाह को विनियमित करके काम करते हैं, विशेष रूप से प्रतिबंधित और प्रतिबंधात्मक वस्तुओं।
- प्रत्येक वस्तु पर शुल्क की एक निर्धारित दर होती है जो विभिन्न तत्वों पर आधारित होती है, जिसमें यह भी शामिल है कि इसे कहाँ खरीदा गया था, कहाँ निर्मित किया गया था, और वह सामग्री जिससे इसे बनाया गया है। यह एक सटीक तस्वीर पेश करता है कि कैसे राष्ट्र अपने विदेशी सहयोगियों पर कर लगाता है।
- सीमा शुल्क कानून के अनुपालन में, आप जो कुछ भी पहली बार भारत में लाते हैं, उसकी भी घोषणा करनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, आपको भारत से बाहर खरीदी गई कोई भी वस्तु और साथ ही बाहर से प्राप्त होने वाले उपहारों की घोषणा करनी चाहिए।

- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, गैर-आवश्यक आयात को कम करने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क में हेरफेर किया जा सकता है।
- घरेलू उत्पादन का समर्थन करने के लिए कई इनपुट पर शुल्क कम किया जा सकता है, जबकि अधिक पैसा कमाने के लिए तैयार माल पर कर बढ़ाया जा सकता है।

सीमा शुल्क की कमियों में शामिल हैं:

- प्रचलित आम सहमति यह है कि आयात कर बढ़ाना केवल दूसरे देश के खिलाफ एंटी-डंपिंग सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।
- सीमा शुल्क में हेरफेर के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था अभी भी मुश्किल में है। अन्य उद्योग क्षेत्रों के निर्माता एक क्षेत्र में शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप आयात से समान सुरक्षा के लिए दृढ़ता से संघर्ष करेंगे।
- सीमा शुल्क के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में कमी के कारण, उपभोक्ता घटिया वस्तुओं के लिए समझौता कर सकते हैं।
- आयात शुल्क बढ़ाने से स्थानीय व्यवसायों की चल रही अक्षमता के बदले में सुरक्षा मिलती है, जिससे माल की लागत बढ़ जाती है।
- एक संरक्षित वातावरण से उन कंपनियों को लाभ होगा जो अनुसंधान एवं विकास में निवेश करती हैं, जो नवाचार को प्रभावित करेगी।
- सीमा शुल्क में वृद्धि को पहले ही प्रतिद्वंद्वी देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के नियमों के उल्लंघन के रूप में उद्धृत किया जा चुका है।
- हालांकि भारत ने इन बढ़ोतरी को लागू करने के लिए अपने सीमा शुल्क नियमों में आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे खिलाड़ियों को उनकी आवश्यकता के लिए राजी करना कठिन होगा।

परिणामस्वरूप, एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को नुकसान होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भारतीय वस्तुओं के प्रति कम उत्तरदायी बना देगा।

- *स्रोत→ हिन्दू*

3. - आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में:

जीएस II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

उद्देश्य:

- 29 फरवरी, 2020 तक एमएसएमई, व्यावसायिक कंपनियों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उनके मौजूदा ऋण के अधिकतम 20% तक अतिरिक्त ऋण, पूरी तरह से गारंटीकृत और संपार्श्विक से मुक्त करने के लिए।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है, जबकि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) ऋण प्रदान करते हैं।

पात्रता:

- जिन उधारकर्ताओं के पास ऋण राशि रु. 50 करोड़ और वार्षिक आय कैप रु। 29 फरवरी, 2020 तक योजना में भाग लेने के लिए 250 करोड़ पात्र हैं।
- सरकार ने बकाया ऋण की अधिकतम राशि में वृद्धि की और इसमें डॉक्टरों, वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवरों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए गए कुछ ऋणों को रुपये के तहत शामिल किया। 3 लाख करोड़-ईसीएलजीएस कार्यक्रम का दायरा 1 अगस्त को
- मूल भुगतान पर एक साल की मोहलत योजना द्वारा दी जाने वाली चार साल की ऋण अवधि में शामिल है।
- यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों (एफआई) के लिए ब्याज दरों को 9.25% पर सीमित करती है, जबकि एनबीएफसी की ब्याज दरें 14% पर सीमित हैं।

वर्तमान परिस्थितियाँ:

- ईसीएलजीएस पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, कुल रु। योजना के तहत अब तक 60.67 लाख कर्जदारों को 2.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं और कुल रु. 1.48 लाख करोड़ का वितरण किया जा चुका है।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

4. - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विवरण:

विवरण:

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विवरण:

- NSA एक निवारक निरोध क़ानून है।
- एक व्यक्ति को और अधिक अपराध करने से रोकने या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए निवारक निरोध में (निहित) हिरासत में लिया गया है।
- संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और सीमाओं को सक्षम बनाता है।

जैसा कि अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है:

एक कानून के तहत जो निवारक निरोध की अनुमति देता है, किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है जब तक कि:

- एक सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उस व्यक्ति को हिरासत में रखने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
- 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना कारावास की अवधि को तीन से घटाकर दो महीने कर दिया। चूंकि यह प्रावधान अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है, पिछले तीन महीने की विंडो अभी भी प्रभावी है।

जेल में बिताया समय:

- एक व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक रखा जा सकता है। हालांकि, अगर सरकार को नए सबूत मिलते हैं तो सजा बढ़ाई जा सकती है।
- किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किए जाने से पहले 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। प्रतिवादी को मुकदमे के दौरान कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्हें अभी भी एक उच्च न्यायालय सलाहकार परिषद में अपील करने की अनुमति है।

कानून से संबंधित संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएं:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संपर्क करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और उसकी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।
- क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 50 के अनुसार, हिरासत में लिए गए सभी लोगों को नजरबंदी के कारण (कारणों) के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उनके पास जमानत (सीआरपीसी) पोस्ट करने का विकल्प होना चाहिए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उस व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है जिसे इनमें से किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से रोका जा रहा है। ऐसी जानकारी जो सरकार का मानना है कि आम जनता के हितों के लिए हानिकारक होगी, को रोका जा सकता है।

- ***स्रोत→ हिन्दू***

संपादकीय विश्लेषण

1. भारत में गैर संचारी रोग:

तथ्य:

- गैर-संचारी रोग (एनसीडी), जैसे कि कैंसर, मधुमेह, पुरानी सांस की स्थिति (अस्थमा और पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय विकार सहित), और हृदय की स्थिति जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक, भारत में सभी मौतों का 60% से अधिक है। इनमें से लगभग 55% असामयिक मौतें हैं।
- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के अनुसार, भारत 2012 और 2030 के बीच गैर-संचारी रोगों पर 4.58 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेगा। (311.94 ट्रिलियन रुपये)।
- मधुमेह के प्रसार के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- भारत दुनिया के 422 मिलियन मधुमेह रोगियों में से लगभग 6% का घर है और सभी मौतों में से 53% से अधिक एनसीडी के कारण होते हैं।

भारत की राज्य स्तरीय रोग भार रिपोर्ट:

- भारत में, इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक का प्रसार 1990 और 2016 के बीच 50% बढ़ा, जबकि इसी अवधि के दौरान मधुमेह वाले व्यक्तियों की संख्या 26 मिलियन से बढ़कर 65 मिलियन हो गई।
- इस दौरान क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित लोगों की संख्या 28 मिलियन से बढ़कर 55 मिलियन हो गई।

एनसीडी क्या हैं?

- अधिकांश एनसीडी ऐसी स्थितियां हैं जिनका संबंध तनाव, स्वस्थ आहार के बारे में समझ की कमी और बुरी आदतों से है। अनुमानों के अनुसार, भारत में होने वाली मौतों में एनसीडी की हिस्सेदारी आश्चर्यजनक रूप से 60% है, जो उन्हें मृत्यु दर का प्रमुख कारण बनाती है।

भारत की अर्थव्यवस्था और लोग प्रभावित:

- आर्थिक समृद्धि के वर्षों (30-70 वर्ष) के दौरान मौतों में वृद्धि।
- खोया जनसांख्यिकीय लाभांश
- एनसीडी कुपोषण से बड़ा मुद्दा हो सकता है।
- घरेलू स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि अंततः बचत को कम करने और गरीबी बढ़ने का कारण बनती है।

सरकारी कार्यों में शामिल हैं:

- भारत की बहु-क्षेत्रीय एनसीडी कार्य योजना का उद्देश्य 2025 तक एनसीडी के कारण दुनिया भर में समय से पहले होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना है।

स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार :

- सरकार ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं (HWC) पर आत्मानिर्भर स्वस्थ भारत योजना के हिस्से के रूप में 64,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।

- 1,20,000 पीएचसी को एचडब्ल्यूसी में बदलने से वे प्राथमिक एनसीडी देखभाल प्रदान करने में सक्षम होंगे।

पीएम का स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम:

- इस पहल में सबसे कमजोर लोगों में से 100 मिलियन शामिल हैं।
- यह एनसीडी जैसे कैंसर, पुरानी श्वसन स्थितियों और सीवीडी की जांच और निदान को शामिल करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दायरे का विस्तार करके चिकित्सा लागत को कम करता है।

इमारतों में धुंध से निपटने के लिए:

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: 90 मिलियन परिवारों के प्रदूषणकारी लकड़ी से एलपीजी की ओर जाने के परिणामस्वरूप महिलाओं में कैंसर और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों का प्रसार कम हुआ है।

जो सरकारी कदम उठाए जाने चाहिए उनमें शामिल हैं:

- जीडीपी का कम से कम 8% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए।
- सभी श्रेणियों के लोगों को सस्ती बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान की।
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना।
- एक सफल प्रारंभिक जांच पद्धति के आधार पर।

गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:

- व्यवसायों को सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए नियम स्थापित करने चाहिए।
- अपने कार्यस्थलों में तनाव से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। गैर सरकारी संगठनों को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों के लिए संघर्ष करना चाहिए।

लोगों से उपयुक्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता

- स्वस्थ आहार का सेवन करें।
- अपने आप को आदी होने से रोकें।
- योग, ध्यान, व्यायाम या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होकर अपने फिटनेस स्तर को बनाए रखें।
- अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ अपनी समस्याओं और संघर्षों के बारे में बात करने से आपको अवसाद से बाहर रहने में मदद मिल सकती है।

डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को ये कदम उठाने की जरूरत है:

- डेटा संग्रह, विनिमय और प्रसारण के लिए भरोसेमंद साधनों का उपयोग करके मूल्यांकन और निगरानी के लिए सिस्टम बनाए गए हैं।
- पूरे मोहल्ले के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करें।

कैसे आगे बढ़ा जाए:

- यदि भारत एनसीडी से समय से पहले होने वाली मौतों की संख्या में एक तिहाई की कटौती करने के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो यह आने वाली वायरल महामारियों के प्रति अधिक लचीला हो जाएगा। भारत को अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आत्मानबीर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को अमल में लाना होगा।

2. आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन:

- पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव आर्कटिक में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दो गुना तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक समुद्री बर्फ का आवरण 75% तक कम हो गया है, और बर्फ का आवरण तेजी से कम हो रहा है।
- महासागर में पिघलने वाली आर्कटिक बर्फ प्रकृति में वैश्विक समस्याओं का कारण बनती है। दूसरी ओर, उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR), जो एक छोटे ध्रुवीय चाप तक फैला है और उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत को जोड़ता है, खुलता है। कुछ पृथ्वी अवलोकन अध्ययनों से पता चलता है कि 2050 तक, यदि जल्दी नहीं, तो यह गलियारा गर्मियों में बर्फ से मुक्त हो सकता है।
- एनएसआर के पूरी तरह से व्यावसायीकरण से पहले, विश्व समुदाय को पहले आर्कटिक के पिघलने के नकारात्मक प्रभावों और इसके सामने आने वाली चुनौतियों को समझना चाहिए।

आर्कटिक बर्फ का पिघलना प्रभाव:

- वैश्विक जलवायु: दुनिया के ध्रुवीय क्षेत्र ग्रह के रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि वे सफेद बर्फ और बर्फ से ढके होते हैं जो गर्मी को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करते हैं, वे ग्रह के अन्य हिस्सों को संतुलित करते हैं जो गर्मी (अल्बेडो प्रभाव) को अवशोषित करते हैं।
- बर्फ के पिघलने और महासागरों के गर्म होने से समुद्र के स्तर, लवणता, धाराओं और वर्षा पैटर्न पर प्रभाव पड़ेगा।
- इसके अतिरिक्त, कम बर्फ के साथ, गर्मी भी परिलक्षित नहीं होती है, जिससे हर जगह अधिक तीव्र गर्मी की लहरें आती हैं।
- गर्म हवा ध्रुवीय जेट स्ट्रीम को अस्थिर कर देगी, एक उच्च दबाव वाली हवा जो आर्कटिक क्षेत्र का चक्कर लगाती है, और यह इसे दक्षिण में डुबकी लगाने और अपने साथ कड़वी ठंड लाने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके अतिरिक्त, यह कठोर सर्दियों का सुझाव देगा।
- तटीय समुदाय: समस्या 1900 के बाद से बदतर होती जा रही है, जब दुनिया भर में समुद्र का औसत स्तर लगभग 7-8 इंच बढ़ गया था।
- समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय बाढ़ और तूफान को और अधिक कठिन बना देता है, जिससे तटीय शहर और छोटे द्वीप राष्ट्र खतरे में पड़ जाते हैं।
- ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का हिमनद पिघल भविष्य के समुद्र के स्तर में वृद्धि के बारे में प्रमुख भविष्यवाणियां करता है; अगर यह पूरी तरह से पिघल जाता है, तो विश्व स्तर पर समुद्र का स्तर 20 फीट बढ़ सकता है।
- खाद्य सुरक्षा: ध्रुवीय भंवर, बढ़ती गर्मी की लहरें, और बर्फ के नुकसान के कारण मौसम की अप्रत्याशितता पहले से ही उन फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है जो दुनिया की खाद्य प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इस अस्थिरता का प्रभाव दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के लिए उच्च लागत और बढ़ती आपदा के रूप में जारी रहेगा।
- पर्माफ्रॉस्ट और जलवायु परिवर्तन बड़ी मात्रा में मीथेन, एक ग्रीनहाउस गैस जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है, आर्कटिक के पर्माफ्रॉस्ट या स्थायी रूप से जमी हुई पृथ्वी में जमा हो जाती है।
- जब यह पिघलता है, तो मीथेन बनती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

- जब आर्कटिक की बर्फ अधिक तेज़ी से खो जाती है, तो पर्माफ़्रॉस्ट अधिक तेज़ी से पिघलेगा। यह एक दुष्चक्र शुरू करेगा जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के कारण तबाही हो सकती है।
- जैव विविधता का खतरा: आर्कटिक की बर्फ का पिघलना इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा है।
- उत्तर के निचले अक्षांशों से प्रजातियों के प्रवास को बढ़ावा देने के दौरान, आर्कटिक के समुद्री जीवन, पौधों और पक्षियों को निवास स्थान के नुकसान और गिरावट, साल भर बर्फ की अनुपस्थिति और बढ़ते तापमान के कारण जीवित रहने में मुश्किल हो रही है।
- बर्फ का गायब होना और पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना ध्रुवीय भालू, वालरस, आर्कटिक लोमड़ियों, बर्फीले उल्लू, हिरन और कई अन्य प्रजातियों के लिए खतरे को दर्शाता है।
- पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है, अप्रत्याशित तूफान विनाशकारी तटरेखा हैं, और जंगल की आग कनाडा और रूस के हृदय क्षेत्र को तबाह कर रही है। पहले से ही, टुंड्रा दलदल में बदल गया है।

- एनएसआर के माध्यम से आर्कटिक का उद्घाटन महत्वपूर्ण व्यावसायिक और आर्थिक अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से शिपिंग, ऊर्जा, मछली पकड़ने और खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में।
- स्वेज मार्ग की तुलना में रॉटरडैम से योकोहामा की दूरी में 40% की कटौती की जाएगी।
- ग्रीनलैंड की खनिज संपदा तक पहुंच उपलब्ध होगी, जिसमें दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी भंडार के साथ-साथ तेल और प्राकृतिक गैस जमा का 25% शामिल है, जो दुनिया के 22% नए संसाधनों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और मुख्य रूप से आर्कटिक जल में पाए जाते हैं।

संबद्ध कठिनाइयाँ:

- पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, इतना भरोसेमंद नहीं: गहरे पानी के बंदरगाहों की कमी, आइसब्रेकर की आवश्यकता, आर्कटिक परिस्थितियों के लिए तैयार श्रमिकों की कमी, और महंगा बीमा आर्कटिक के धन का उपयोग करना मुश्किल बनाता है।
- गहरे समुद्र में खनन और ड्रिलिंग भी बहुत महंगे और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं।
- ध्रुवीय क्षेत्र: एक वैश्विक असमानता आर्कटिक को शामिल करने वाला एकमात्र सम्मेलन, जो अंटार्कटिका के विपरीत सभी देशों का राष्ट्रमंडल नहीं है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) है।
- यह देखते हुए कि पांच तटवर्ती राज्यों- रूस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), और अमेरिका के पास इसके एक बड़े हिस्से पर संप्रभुता है, नए संसाधनों का उनका उपयोग पूरी तरह से वैध है।
- इसलिए, वैश्विक स्तर पर आर्कटिक को बचाने के प्रयासों को राष्ट्रीय आर्थिक हितों पर प्राथमिकता नहीं मिल सकती है।
- शानदार खेल भू-राजनीति: समुद्र तल और विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर संसाधनों के लिए संघर्षपूर्ण दावे रूस, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क द्वारा किए गए हैं।
- रूस आर्कटिक में सबसे लंबी तटरेखा, आधी आबादी और एक अच्छी तरह से विकसित रणनीतिक नीति के साथ प्रमुख शक्ति है। एनएसआर, इसके अनुसार, अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा है।
- दूसरी ओर, अमेरिका का मानना है कि यह मार्ग अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में है।

- चीन ने आर्थिक लाभ हासिल करने के प्रयास में बंदरगाह, ऊर्जा, समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचे और खनन परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया है। चीन ने बीआरआई के विस्तार के रूप में पोलर सिल्क रोड की कल्पना की है।

भारत का उद्देश्य:

- भारत का हित: इन प्रगतियों और भारत के बीच की दूरी के बावजूद, भारत अभी भी उनमें रुचि रखता है।
- भारत की जलवायु विशेष रूप से महासागरीय धाराओं, मौसम के पैटर्न, मत्स्य पालन, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से - हमारे देश की व्यापक तटरेखा के कारण आर्कटिक वार्मिंग के कारण मानसून में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
- तीसरे ध्रुव की निगरानी: भारत का आर्कटिक पैटर्न पर वैज्ञानिक अनुसंधान का एक लंबा इतिहास है, जो तीसरे ध्रुव, हिमालय पर कुछ प्रकाश डालने में सक्षम हो सकता है, जहां वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
- चीन की आर्कटिक गतिविधियों के रणनीतिक निहितार्थ और रूस के साथ इसके गहरे होते रणनीतिक और आर्थिक संबंध स्पष्ट हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है:

- आर्कटिक पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर सहयोग के लिए प्राथमिक अंतर सरकारी संगठन आर्कटिक परिषद के साथ भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- राजनीतिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों पर विचार करने वाली व्यापक रणनीति के साथ भारत की आर्कटिक परिषद की सदस्यता को बढ़ावा देने का समय आ गया है।

निष्कर्ष:

- वैश्विक जलवायु प्रणाली में आर्कटिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, जैसे अमेज़ॅन वर्षावन दुनिया के फेफड़ों के रूप में कार्य करता है, आर्कटिक हमारे परिसंचरण तंत्र की तरह है और विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है।
- इसलिए, आर्कटिक के पिघलने को एक महत्वपूर्ण वैश्विक चिंता के रूप में पहचानना और आवश्यक कार्रवाई करना मानवता के सर्वोत्तम हित में है।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are

Vijay Kumar G

Founder and Director

Guru Deekshaa IAS

- First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

76 76 74 98 77

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

@GURU_DEEKSHAAIAS

FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

GURUDEEKSHAA